छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर, छ.ग.

क्रमांक................/एफ 4–16/31/एस–2/औजप्र/2006, रायपुर दि. /01/2008
प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः–स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लि., हैदराबाद/मुंबई द्वारा कोरबा जिले में प्रस्तावित 50(2x25) मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट हेतु लीलागर नदी से 2.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन की स्वीकृति।

संदर्भः–1. शासन का पत्र क्र.–4184–4185/7/जसं./तशा/औजप्र/01/डी–4, रायपुर दिनांक 24.07.2007.
2. आपका पत्र क्र.–1252–1253/58/मा/पी–2/बिलासपुर, दि. 01.12.2007.

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की 17 वीं बैठक दिनांक 04.07.2007 में लिये गये निर्णयानुसार एवम् संस्थान द्वारा कमिटमेंट चार्जेस रू. 0.50 लाख का भुगतान ज.सं. विभाग को किये जाने के तारतम्य में स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लि., हैदराबाद/मुंबई द्वारा जिला–रायगढ़, ब्लाक–कटघोरा, ग्राम–रतीजा के निकट प्रस्तावित 50(2x25) मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट हेतु लीलागर नदी से वांछित 2.00 मिलियन घन मीटर वार्षिक (लगभग 5479 घनमीटर /दिन अर्थात 1.20 एम.जी.डी.) जल प्रदाय की स्वीकृति, लीलागर नदी में जल संग्रहण हेतु संस्थान के व्यय से, ज.सं. विभाग द्वारा एनीकट के निर्माण उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

1. संस्थान, लीलागर नदी में प्रस्तावित जलाशय/एनीकट के सर्वेक्षण एवं तद्नुसार उसके निर्माण कार्य की संपूर्ण लागत वहन करेगा। निर्माण व्यय संस्थान द्वारा देय जल–कर की राशि में समायोजित किया जा सकेगा। सर्वेक्षण/निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं एनीकट का स्वामित्व जल संसाधन विभाग के पास रहेगा।

2. संस्थान, लीलागर नदी में प्रस्तावित जलाशय/एनीकट के निर्धारित स्थल से अपने संयंत्र स्थल तक जल ले जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था (इंटेकवेल का निर्माण, पाईप लाइन बिछाना आदि) जल संसाधन विभाग के अनुमोदन उपरांत स्वयं के व्यय पर करेगा।

....2

3. प्रकरण में प्रदायित जल की मात्रा के माप हेतु इंटेकवेल (पंप हाउस) में मानक जल मापन यंत्र की स्थापना संस्थान को स्वयं के व्यय पर करनी होगी, जिसकी समय–समय पर विभाग द्वारा जांच की जा सकेगी।

4. जल ले जाने हेतु भू–अर्जन एवं संबंधित जो भी समस्या आयेगी उसका निराकरण संस्थान स्वयं के व्यय पर स्वयं करेगा।

5. संस्थान द्वारा वास्तविक जल आहरण के आधार पर स्वीकृत जल–मात्रा का आंकलन एवं समीक्षा समय–समय पर शासन द्वारा की जा सकेगी ।

6. लीलागर नदी से जल आहरण के प्रस्तावित स्थल (स्ट्रक्चर) के ऊपर एवं नीचे जल उपयोग हेतु जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा एवं निर्माण किये जाने वाले जलाशय/एनीकट में संस्थान द्वारा वांछित जल के अतिरिक्त जल के उपलब्ध होने पर उसके उपयोग हेतु भी जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा।

7. संस्थान, स्थानीय लोगों के जल उपयोग जैसे पेयजल एवं निस्तार आदि हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

8. संस्थान उपयोग के पश्चात अपने संयंत्र से निस्सारित जल का रि–साइकलिंग करके इसका उपयोग करेगा एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार उपचार कर निस्सारित करेगा, ताकि क्षेत्र में जल प्रदुषण की कोई समस्या उत्पन्न न हो।

9. संस्थान को जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व विभाग से निर्धारित प्ररूप–7(क) में मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के निर्देशानुसार /अनुमोदन उपरांत अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

10. संस्थान को, शासन द्वारा शासकीय स्त्रोत से औद्योगिक जल उपयोग हेतु समय–समय पर निर्धारित जल–दर पर जल कर एवं कमिटमेंट चार्जेस का नियमानुसार भुगतान जल संसाधन विभाग को अनिवार्य रूप से करना होगा।

11. प्रकरण में जल प्रदाय की यह स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों/परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य में किसी कारणवश नदी के जल प्रवाह में कमी होने पर शासन इसके लिए जवाबदेह नहीं रहेगा एवं इस संबंध में शासन के विरूद्ध किसी प्रकार का दावा मान्य योग्य नहीं होगा।

.......3

12. शासन द्वारा कमिटमेंट चार्जेस के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 के अनुसार संस्थान को इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के दिनांक से 02 वर्षो के अंदर जल का उपयोग प्रारंभ करना होगा। इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा यदि जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उपयोग प्रारंभ करने की समय–सीमा अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाई जा सकेगी एवं इस हेतु प्रथम वर्ष में आबंटित/आरक्षित जल की संपूर्ण मात्रा के 5% अंश एवं दूसरे वर्ष में 10% अंश की जल–कर राशि अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस के रूप में संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह के अंदर जमा करनी होगी। अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस की निर्धारित अधिकतम 2 वर्ष की समय–सीमा के अनुसार भुगतान करने के पश्चात भी यदि संस्थान द्वारा जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित समस्त शर्तो का पालन नहीं किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से जल आबंटन/आरक्षण स्वमेव समाप्त माना जायेगा एवं शासन को इस जल को अन्य किसी के उपयोग हेतु आबंटित/आरक्षित करने की स्वतंत्रता होगी।

13. संस्थान द्वारा प्रस्तावित पॉवर प्लांट हेतु छत्तीसगढ़ शासन/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के साथ निष्पादित एम.ओ.यू. की वैधता अवधि यदि खत्म होती है या संस्थान द्वारा, एम.ओ.यू. की वैधता अवधि के दौरान नियमानुसार इंप्लिमेन्टेशन एग्रीमेंट नहीं किया जाता है तो भी प्रकरण में स्वीकृत जल आबंटन निरस्त माना जायेगा।

सहपत्रः—शून्य।

(दिलीप वासनीकर)
अतिरिक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, रायपुर

.......4

पृ. क्र. 360 /एफ 4–16/31/एस–2/औजप्र/2006, रायपुर दि. 17/01/2008

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय की ओर उनके पत्र क्र.–291/2/13/ऊ.वि./एम.ओ.यू. समीक्षा/07, रायपुर दि. 07.02.07 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

3. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर, एवं
4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5. उप संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, मंत्रालय के पास (रेणुका द्वार), शास्त्री चौक, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र.–286/एसआईपीबी/2006/227, रायपुर दिनांक 05.03.2007 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेपित।

6. संचालक, स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लि., 202, सायबर हाइट्स, रोड नं.–2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद–500033 (आ.प्र.) की ओर उनके पत्र क्र.–SCPL/PP/Water/07–08/041, दिनांक 11.05.2007 के संदर्भ में सूचनार्थ एंवं शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, रायपुर